जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहूँ,जौनपुर

फ 1–14 निविदा प्रकिया/2016–17/ दिनांक...............................

निविदा सूचना

इस विद्यालय के द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए दैनिक उपयोग सामग्री,समोसा एवं मिठाई,प्रयोगशाला उपकरण,भवन मरम्मत एवं रख–रखाव,खाघ् सामग्री,बेडिंग सामग्री,स्पोर्टस सामग्री,गणवेश,सब्जी एवं फल,स्टेशनरी,यूनीफार्म सिलाई,बिद्युत सामग्री,फर्नीचर,कम्पयूटर सामग्री एवं वार्षिक रख–रखाव,यूनीफार्म धुलाई एवं प्रेस हेतु प्रतिष्ठित एवं अधिकृत आपूर्ति कर्ताओं से निविदायें निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है। (खाघ् सामग्री एवं सब्जी फल के निविदादाता जौनपुर जनपद के होना चाहिए)

– निविदा फार्म की बिक्री कार्यालय समय में दिनांक 21/04/2016 से दिनांक 16/05/2016 तक की जाएगी।

– पंजीकृत डाक से निविदा फार्म इस विद्यालय में पहुँचने की अन्तिम तिथि दिनांक 25/05/2016 अपराहन 3 बजे तक।

– निविदा फार्म खोलने की तिथि दिनांक 26/05/2016 को 4.00 बजे अपरान्ह।

विस्तृत विवरण हेतु दैनिक जागरण दिनांक 21/04/2016 के अंक में जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहूँ, जौनपुर द्वारा प्रकाशित निविदा का अवलोकन करें। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष कय सलाहकार समिति को होगा।

प्राचार्य

जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहूँ,जौनपुर
निविदा फार्म का नमूना
निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्ते

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या.....................................

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0–400 / –

विक्रय तिथि..

सन्दर्भ ....   दिनाक..........................

सेवा में,

....

....

....

बिषयः– **जवाहर नवोदय विद्यालय, मड़ियाहूँ, हेतु .... सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा।**

महोदय,

1. उपर्युक्त बिषय के सम्बन्ध में जवाहर नवोदय विद्यालय जौनपुर हेतु मुहरबन्द लिफाफे में प्रकाशन तिथि से दिनांक 16 / 05 / 2016 तक संलग्न सूची की वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निर्धारित निविदा पत्र पर विधिवत भरी हुई निविदा धरोहर राशि के बैंक ड्राप्ट / बैंकर्स चेक सहित उपयुक्त सील मोहर के साथ मोहरबन्द लिफाफे में जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहूँ, के प्राचार्य के नाम से केवल पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 25 / 05 / 2016 तक पहुॅचने पर स्वीकार की जायेगी। लिफाफे के ऊपर बॉयी ओर सुस्पष्ट शब्दों में प्रस्तावित सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। दिनांक 25 / 05 / 2016 तक विद्यालय में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 26 / 05 / 2016 को अपरान्ह 4.00 बजे विद्यालय क्रय परामर्शदात्री उपसमिति की बैठक में खोलकर निर्णय लिया जायेगा।

2 निविदायें निविदा फार्म की शतों जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदा दाता को निविदा में निहित शतों की सहमति पर अपने हस्ताक्षर अंकित करने चाहिए।

3 निविदा में दर्शायी गई दरें सभी कर सहित जैसे वैट/विकी कर उत्पादन शुल्क तथा अन्य कर सहित होनी चाहिए तथा एफ.ओ.आर. जवाहर नवोदय विद्यालय मडियाहूँ होना चाहिए। परन्तु किसी भी दशा में वस्तु पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नही होना चाहित।

4 निविदा फार्म में अंकित वस्तु व उनके मूल्यों में कोई काट छाट नही होने चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का परिर्वतन/संशोधन करना आवश्यक हो तो साफ तरीके से किया जाना चाहिए तथा परिर्वतन पर हस्ताक्षर व दिनांक का उल्लेख होना चाहिए।

5 अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखता है एवं वह न्यून्तम दर वाले निविदा को ही स्वीकृत करने के लिए बाध्य नही है। वह किसी भी निविदा को बिना उसका कारण बताये निरस्त कर सकता है। निविदा की स्वीकृत न्यून्तम दरें गुणवत्ता को ध्यान में रख कर की जायेगी।

6 निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी और निविदाकर्ता के बीच यह निविदा प्रपत्र स्वतः एक अनुबन्ध के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तथा निविदादाता इस प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तो के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

7 निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र में वर्णित सम्बन्धित निविदानुसार रू0.. बयाना राशि (Ernest Money)के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा संलग्न करनी होगी। बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैक के पक्ष में प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय मडियाहूँ,जौनपुर के नाम होना चाहिए। जिन निविदा कर्ता की निविदा स्वीकार नही होगी उन्हें धरोहर राशि निविदा स्वीकृत होने की तारीख के एक माह के भीतर लौटा दी जाएगी। किसी भी दशा में बयाना राशि के बिना निविदा पर विचार नही किया जाएगा। सरकारी संस्थाएं निविदा हेतु आवेदन करना चाहती है तो वह बयाना राशि में छूट हेतु सक्षम अधिकारी से निर्गत अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करेंगें परन्तु फर्म को ऐसा विभागीय पत्र लगा देने मात्र से बयाना राशि जमा न किए जाने की छूट प्राप्त नही होगी। इसके लिए विद्यालय क्रय समिति स्वयं निर्णय लेगी जो निविदा पर लागू होगा।

8 जिन निविदादाताओं की निविदायें स्वीकार हो जायेगी उनके द्वारा प्रस्तुत बयाना राशि (Security Deposit)स्वतः प्रस्तावित आपूर्ति हेतु धरोहर राशि में समायोजित कर दी जायेगी तथा सामान्य परिस्थितियों में मूल रकम निविदा पूर्ण होने पर वापस कर दी जाएगी।

9 निविदा दाता को आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति अन्य श्रोत से पूर्ण कर लें तथा मूल्यों में अन्तर होने के कारण हुई कुल हानि की वसूली निविदादाता द्वारा प्रस्तुत लम्बित बिलों से अथवा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि से समायोजित कर ली जाएगी।

10 निविदा में दर्शायी गई मात्रा अनुमानित है जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा आवश्यकतानुसार बिना कारण बताए घटाया व बढाया जा सकता है।

11 निविदा फार्म में जिन वस्तुओं के लिए नमूना मांगा गया है उनका नमूना निविदा के साथ अथवा निविदा खोलने के समय जैसा निर्देशित किया गया है प्रस्तु करेंगें। अधोहस्ताक्षरी को निविदा स्वीकृत के बाद भी वस्तुओं का नमूना मॉगने का अधिकारी होगा तथा निविदा दाता का दायित्व होगा कि वह नमूना प्रस्तुत करें तथा किसी सामान के मशीन होने की स्थिति में उसको चलाकर दिखया जाना अनिवार्य होगा।

12 वस्तु की आपूर्ति की जॉच अधोहस्ताक्षरी द्वारा या अन्य प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति वस्तु स्वीकृत नमूने के अनुसार नही है अथवा निर्धारित निंदिष्टकरण के अनुसार नही है तो आपूर्ति को निविदादाता द्वारा स्वंय के खर्च पर बदला जायेगा अन्यथा आपूर्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार अधोरत्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

13 निविदा पत्र उन्ही फर्मो/कम्पनियों के स्वीकार किए जाएगें जो उस वस्तु सामान मशीन इत्यादि के व्यापार में संलग्न हो तथा उनका बिक्रीकर पंजीकरण उस वस्तु विशेष के व्यापर करने हेतु हो।

14 निविदादाता को अपने पक्ष में प्राप्त आपूर्ति आदेश की वस्तुएं अपने स्तर से ही आपूर्ति करनी होगी। वह उसका कोई अंश/भाग अन्य फर्म को आपूर्ति करने हेतु स्थानान्तिरित नहीं कर सकता।

15 फर्म को भुगतान करने में राशि के प्रेषण का ड्राफ्ट व्यय यदि कोई होता है तो वह फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।

16 विवादास्पद वस्तु के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद वस्तुओं का निपटारा होने पर इनके परिणाम के अनुसार रकम का भुगता किया जायेगा।

17 अगर निविदा फर्नीचर आपूर्ति के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर धातु की प्लेट लगायेगें जिस पर फर्म का नाम तथा आपूर्ति का वर्ष अंकित होगा।

18 निविदा की दरें दिनांक 30.04.2017 तक मान्य होगी।

19 निविदा दाता आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट वस्तुओं में यदि किसी वस्तु के साथ उपहार स्कीम कम्पनी उपलब्ध करा रही है तो निविदा दाता उस उपहार को विद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा उसे बिल में भी दर्शायेंगें परन्तु उसकी कीमत शून्य होगी परन्तु उपहार में दी गयी वस्तु की कीमत की माँग नहीं करेंगें।

20 सभी विवादों का न्याय क्षेत्र सम्बन्धित विद्यालय का जनपद क्षेत्र होगा।

21 भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर की कटौती आपूर्ति कर्ता के बिल से की जायेगी और आयकर विभाग को भेज दी जायेगी।

22 आपूर्ति आदेश के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति न करने पर अथवा निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म को काली सूची में अंकित करने हेतु कार्यवाही करें।

23 निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करेंगें।

अ. आयकर विभाग द्वारा जारी वर्तमान आयकर प्रमाण पत्र।

ब. निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट।

स. उपकरण, फर्नीचर आदि की आपूर्ति के लिए निर्दिष्टीकरण तथा छपा हुआ मूल पत्र तथा अन्य लिखित सामग्री।

द. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक का प्रमाण पत्र।

य. जहाँ लागू हो टिन (वैट/बिकी कर) रिजस्टर्ड प्रमाण पत्र की प्रति।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
मडियाहूँ, जौनपुर

28 निविदा प्रपत्र में लिखित समस्त शर्तें हमें मान्य हैं।

दिनांक ....

स्थान ....

निविदा भरने वाले का नाम
हास्ताक्षर